(111)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 260—दो/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19—02—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1337/अपील/2006—07.

.....

श्रीमती पंकजकली पत्नी श्री विष्णु त्रिपाठी
निवासी गुढ़वा तहसील गुढ़ जिला रीवा
म0 प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—श्रीमती मानवती देवी पत्नी रामदेव त्रिपाठी
पुत्री श्री जमुना प्रसाद निवासी गुढ़वा तहसील
गुढ़ जिला रीवा म0 प्र0 हाल मुकाम साकिन
पड़रा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2—म0 प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक—क0—1
अनावेदक कमांक—2 की ओर से कोई उप0 नहीं

.....

आदेश

(आज दिनांक 19/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश 19—02—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2—प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक—1 द्वारा विचारण न्यायालय में वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम पड़रा खसरा नम्बर 263/1, 263/2 नया नम्बर 285 रकवा 0.55 एकड़ पर कब्जा इन्द्राज कराने का आवेदन पत्र धारा 115, 116 के तहत अधीनस्थ न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2003 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से दुखित होकर अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, उनके द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये आदेश पारित किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अभिलेख से आवेदिका का कब्जा निरस्त करने का आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम पड़रा खसरा नम्बर 263/1, 263/2 नया नम्बर 285 रकवा 0.55 एकड़ के भूमिस्वामी श्रीमती सतिलिया बेवा रामदयाल ब्रा0 थी। आवेदिका श्रीमती पंकजकली के पति विष्णुदेव त्रिपाठी एवं अनावेदक श्रीमती मानवती के पति श्री रामदेव त्रिपाठी आपस में सगे भाई है तथा दोनों भाई शामिल शरीक रहते हुये श्रीमती सतिलिया से 95/– रूपये में अर्सा 30 वर्ष पूर्व उक्त आराजी को क्रय किया थे तथा सादे कागज में दोनों भाईयों की पत्नी श्रीमती मानवती अनावेदिका एवं श्रीमती पंकजकली आवेदिका के नाम विक्रय पत्र लिखा गया था तथा वह विक्रय पत्र अनावेदिका मानवती के पति श्री रामदेव त्रिपाठी के पास था जो कि कर्ताखानदान की हैसियत से उन्हीं के पास उक्त विक्रय पत्र मौजूद था, कुछ दिन बाद सतिलिया की मृत्यु हो गयी जिससे विक्रय पत्र रजिस्टर्ड तैयार नहीं किया जा सका। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया है कि श्रीमती मानवती के पति रामदेव त्रिपाठी पूर्व में तहसील हुजूर में पटवारी के पद पर पदस्थ थे, तथा उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने भाई विष्णुदेव को हिस्सा न देने के इरादे से भूमि आराजी भूमि खसरा नम्बर 285 रकवा 0.55 एकड़ की दूसरी फर्जी कच्ची टीप तैयार किया है जो केवल अपनी पत्नी मानवती के नाम लिखा लिये हैं व न्यायालय तहसीलदार के समक्ष कब्जा दर्ज करने हेतु अनावेदिका मानवती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जानकारी होने पर आवेदिका पंकजकली ने पक्षकार बनने का आवेदन दिया गया तथा न्यायालय द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया तथा मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से पटवारी से बयान लिया गया मौके की

जांच की गई एवं पारिवारिक बटवारे के लेख के आधार पर आवेदिका का कब्जा तहसीलदार द्वारा माना गया एवं कब्जा दर्ज करने का आदेश दिनांक 11.2.03 को पारित किया गया। उक्त आदेश से दुखित होकर अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, उनके द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये आदेश पारित किया गया। अपने तर्क में यह भी तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा दज़ करने बावत आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दिये गये ऐसे साक्ष्य जो हीरालाल सिंह व वंशपति प्रसाद का शपथ पत्र का महत्व देते हुये निर्णय पारित किया गया है जबकि विचारण न्यायालय तहसीलदार हुजूर के समक्ष जिरह हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि पटवारी का बयान नहीं लिया केवल प्रतिवेदन के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है। जबकि उसने अपने बयान द्वारा अपने प्रतिवेदन का पूरी तरह से समर्थन किया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदिका की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा का आदेश एवं तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदिका द्वारा विवादित भूमि कच्ची टीप से क्रय की थी ओर उसका कब्जा भी है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश अपने स्थान पर सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम पड़रा खसरा नम्बर 263/1, 263/2 नया नम्बर 285 रकवा 0.55 एकड़ के भूमिस्वामी श्रीमती सतिलिया बेवा रामदयाल ब्रा0 थी। आवेदिका श्रीमती पंकजकली के पति विष्णुदेव त्रिपाठी एवं अनावेदक श्रीमती मानवती के पति श्री रामदेव त्रिपाठी आपस में सगे भाई है तथा दोनों भाई शामिल शरीक रहते हुये श्रीमती सतिलिया से 95/– रूपये में अर्सा 30 वर्ष पूर्व उक्त आराजी को क्रय किया था। कुछ दिन

बाद श्रीमती सतिलिया की मृत्यु हो गयी जिससे विक्रय पत्र रजिस्टर्ड तैयार नहीं किया जा सका। तहसीलदार के समक्ष कब्जा दर्ज कराने हेतु अनावेदिका मानवती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जानकारी होने पर आवेदिका पंकजकली ने पक्षकार बनने का आवेदन दिया गया तथा न्यायालय द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया तथा मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से पटवारी से बयान लिया गया मौके की जांच की गई एवं पारिवारिक बटवारे के लेख के आधार पर आवेदिका का कब्जा तहसीलदार द्वारा माना गया, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह भी माना है कि पटवारी प्रतिवेदन में पंकजकली एवं मानवती दोनों का कब्जा दखल है। पटवारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अन्य और किसी का कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि श्रीमती सतिलिया के नाम दर्ज है जो लावल्द फौत है। अनावेदिका द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं की गई थी। इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा पटवारी प्रतिवेदन को अनदेखा किया गया है। **म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 121 के अन्तर्गत मौके से जांच कर मौके के अनुसार कब्जा दर्ज करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।** इसी प्रकार साक्ष्य जो हीरालाल सिंह व वंशपति प्रसाद द्वारा दिया गया है उसको भी अनदेखा किया गया है। इससे अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 19.2.08 त्रुटिपूर्ण है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण कमांक 1337/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 19.02.07 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा का प्रकरण कमांक 131/अ–6/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 20.7.07 एवं तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा का प्रकरणकमांक 26/अ–6/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 11.02.03 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर